न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 13 / 2017

1. आची देवी पत्नी स्वर्गीय फूला जाति स्वामी, निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
2. श्रवण पुत्र स्वर्गीय फूला जाति स्वामी, निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
3. बीरबल पुत्र स्वर्गीय फूला जाति स्वामी, निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
4. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय फूला जाति स्वामी, निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
5. गणपत पुत्र स्वर्गीय फूला जाति स्वामी, निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
6. मालीराम पुत्र स्वर्गीय फूला जाति स्वामी, निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थीगण

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू

— रेसपोंडेंट

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 1832
दिनांक 30.01.2017 बअदालत तहसीलदार उदयपुरवाटी।

उपस्थितिः—

1. श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट ——— ——— अपीलांट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक ——— रेस्पोंडेंट की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 28.06.2019

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 1832 दिनांक 30.01.2017 बअदालत तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि – ग्राम इन्द्रपुरा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 327 स्थित है जो अपीलांट की खातेदारी भूमि है। जिस बाबत धारा 251 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत उनवानी प्रकरण बद्री बनाम फूला आदि में दिनांक 24.1.2017 को उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी ने आदेश जारी किया कि ग्राम इन्द्रपुरा की भूमि खसरा नंबर 327 व 204 के खातेदारों को डी.एल.सी. दर की 2

अतिरिक्त कलेक्टर
झुन्झुनू

गुणा राशि गणना कर भुगतान करें तथा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता अंकित करं जिस बाबत निर्णय के बाद अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 26 पेश करके उपरोक्त आदेश कीक्रियान्विति अपीलीय अवधि के समय तक स्थगित करने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय ने दिनांक 25.1.2017 को उक्त आदेश की क्रियान्विति अपीलीय अवधि तक स्थगित किये जाने का आदेश दिया, जिसकी पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी को तहरीर जारी कर दी गई थी,जो उन्हे उसी दिनांक को प्राप्त हो गई थी। इस तरह से प्रकरण संख्या 216/2012 में पारित आदेश दिनांक 24.1.2017 की क्रियान्विति नहीं किये जाने के लिए रेस्पोन्डेन्ट पाबन्द थे, लेकिन इसके बावजूद भी तथाकथित भूमि बाबत जो प्रश्नगत नामान्तकरण तकमील व तस्दीक किया गया है, जो अवैध व शून्य है तथा उपरोक्त नामान्तरकरण बाबत अपीलांट को न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया तथा उसे आदेश की पालना में डीएलसी रेट की 2 गुणा राशि भी अदा नहीं की गई एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के आदेश के विपरित जाकर उक्त नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट द्वारा तस्दीक किया गया है। जब कि उपखण्ड अधिकारी उदयुपरवाटी ने आदेशित किया था कि पहले रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि की डीएलसी रेट की 2 गुणा राशि की गणना करके ग्राम इन्द्रपुरा के भूमि खसरा नंबर 327 व 204 के खातेदारों को भुगतान करे, इसके बाज राजकीय रास्ता अंकन करे, लेकिन न तो रेस्पोन्डेन्ट ने राशि के भुगतान बाबत खातेदारों को नोटिस दिया और ना ही कोई राशि जमा की गई, इसलिए बिना खातेदारों को भुगतान किये राजकीय रास्ते का नामान्तकरण किया गया है, वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है,इसलिए प्रश्नगत नामान्तकरण की कार्यवाही निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 1832 दिनंक 30.01.2017 द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी निरस्त किया जाकर वापिस भूमि अपीलांट के नाम दर्ज फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि– प्रकरण संख्या 216/2012 में पारित आदेश दिनांक 24.1.2017 की कियान्विति नहीं किये जाने के लिए रेस्पोन्डेन्ट पाबन्द थे, लेकिन इसके बावजूद भी तथाकथित भूमि बाबत जो प्रश्नगत नामान्तकरण तकमील व तस्दीक किया गया है, जो अवैध व शून्य है तथा उपरोक्त नामान्तरकरण बाबत अपीलांट को न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया तथा उसे आदेश की पालना में डीएलसी रेट की 2 गुणा राशि भी अदा नहीं की गई एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के आदेश के विपरित जाकर उक्त नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट द्वारा तस्दीक किया गया है। जब कि उपखण्ड अधिकारी उदयुपरवाटी ने आदेशित किया था कि पहले रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि की डीएलसी रेट की 2 गुणा राशि की गणना करके ग्राम इन्द्रपुरा के भूमि खसरा नंबर 327 व 204 के खातेदारों को भुगतान करे, इसके बाज राजकीय रास्ता अंकन करे, लेकिन न तो रेस्पोन्डेन्ट ने राशि के भुगतान बाबत खातेदारों को नोटिस दिया और ना ही कोई राशि जमा की गई, इसलिए बिना खातेदारों को भुगतान किये राजकीय रास्ते का नामान्तकरण किया गया है, वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है, इसलिए प्रश्नगत नामान्तकरण की कार्यवाही निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 1832 दिनंक 30.01.2017 द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी निरस्त किया जाकर वापिस भूमि अपीलांट के नाम दर्ज फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) आटी एक्ट के अन्तर्गत पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.1.2017 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी उक्त नामांतरकरण संख्या 1832 तस्दीक किया है। अपीलांट को अगर उक्त आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र हैं। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा की गई कार्यवाही विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा धारा 251 (क) आटी एक्ट के अन्तर्गत पक्षकारों को सुना जाकर दिनांक 24.01.2017 को पारित निर्णय एवं आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 1832 दिनांक 30.01.2017 तस्दीक किया

अति. जिला कलक्टर
झुन्झनू

है। अपीलांट ने हस्तगत अपील में जो तथ्य उठाये हैं अगर ऐसा है तो उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकते हैं। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट में कोई बल प्रतीत नहीं होता, ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नामांतरकरण संख्या 1832 दिनांक 30.01.2017 ग्राम इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू